

शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फस, उ० प्र०

८१७, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

Shia Central Board of Waqfs, U.P.

817, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow

Ph. : 0522-2286497, 3209108

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

۸۱۷، اندرا بھون، اشوک مارگ، لکھنؤ

فون نمبر : ۰۵۲۲-۲۲۸۶۴۹۷، ۳۲۰۹۱۰۸

Ref. No.

745

Speed Post

Dated :

18/03/2015

प्रेषक,

सै० गुलाम सय्यदैन रिजवी,  
प्रशासनिक अधिकारी।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,  
जनपद-रामपुर।

विषय:-अवकाफ रामपुर से संबंधित अवकाफ की आमदनी को अवैध तरीके से वसूल किये जाने के कम में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवकाफ रामपुर के मुतवल्ली श्री वसीम मियां ने बोर्ड को अवगत कराया है कि पूर्व मुतवल्ली द्वारा बगैर बोर्ड की अनुमति अवैध रूप से अधिकृत किये गये श्री महमूद खां द्वारा वक्फ सम्पत्ति से अपने को फर्जी तौर से बोर्ड द्वारा अधिकृत बता कर वक्फ के किरायेदारों को धोखा देकर वक्फ की आय की वसूली की जा रही है जिससे वक्फ को वित्तीय क्षति पहुंच रही है। वक्फ के मुतवल्ली श्री वसीम मियां की शिकायत की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दोषी के विरुद्ध कार्यवाई सुनिश्चित किये जाने का कष्ट करें तथा की गयी कार्यवाई से बोर्ड को अवगत करायें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सै० गुलाम सय्यदैन रिजवी)  
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-श्री वसीम मियां, मुन्तज़िम मुतवल्ली, अवकाफ रामपुर के शिकायती पत्र  
दिनांक 16-3-2015 के कम में सुचनार्थ।

(सै० गुलाम सय्यदैन रिजवी)  
प्रशासनिक अधिकारी